an>

Title: Need to extend the time limit of Prime Minister Crop Insurance scheme till 31st August, 2016.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में खरीफ की फसल के लिए बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई, 2016 तक निर्धारित की गयी थी।...(व्यवधान) बीमा एजेंसियों को तय करने का अधिकार प्रदेश सरकारों को होता है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में बीमा एजेंसी जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की गयी है।...(व्यवधान) अभी तक उसने हर जिले में अपना कार्य तक शुरू नहीं किया है।...(व्यवधान) इधर, अतिवृÂिष्ट से पूरा प्रदेश अस्त-व्यस्त है।...(व्यवधान) किसान भी बाढ़ आदि से परेशान है।...(व्यवधान) अभी वह बुवाई कार्य, विशेषकर दलहन व मोटे अनाजों का, कुछ भी नहीं कर पाया है।...(व्यवधान) बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई को समाप्त हो गयी है।...(व्यवधान) अभी अधिकतर किसान इस नई फसल बीमा योजना को नहीं करा पाए हैं।...(व्यवधान)

अस्तु, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस वर्ष 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का व्यापक प्रचार-प्रसार, नामित एजेंसी द्वारा समय से कार्य न शुरू कर सकने के कारण तथा बाढ़ व अतिवृÂिष्ट के हालात को देखते हुए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का समय 31 अगस्त तक किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री प्रहलाद जोशी,

श्रीमती संतोÂष अहलावत और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€¦(व्यवधान)